प्रेस विज्ञप्ति

(दिल्ली-एनसीआर में वायु-प्रदूषण का नियंत्रण)

दिल्ली-एनसीआर में उद्योग का पीएनजी और बायोमास जैसे स्वच्छ ईंधन की ओर स्थानान्तरण किंतु आपूर्ति, मूल्य और निगरानी जैसी चुनौतियों के कारण उद्देश्य में बाधाएं -- सीएसएई के नए शोध का निष्कर्ष

- **दिल्ली-एनसीआर के दो बड़े औद्योगिक क्षेत्रों– मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र (एमआईए) और अलवर के भिवाड़ी में किये गये गहन शोध का अध्ययन.**
- **शोध के अनुसार सर्वे किए गये क्षेत्रों के अधिकतर उद्योग जून 2022 के सीएक्यूएम अधिसूचना के बाद स्वच्छ ईंधन के विकल्पों की तरफ़ आकृष्ट हो रहे हैं.**
- **किंतु पीएनजी की सीमित उपलब्धता और कीमतों में बढ़ोत्तरी उनके लिए पर्यावरण-स्वच्छता की राह में बड़ी बाधाएं हैं. साथ ही उद्योगों द्वारा बायोमास-फायरिंग की स्थिति में कण-उत्सर्जन के नए मानदंडों की लगातार अनदेखी हो रही है.**
- **सीएसई ने इस दिशा में कुछ अग्रलिखित अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं.**

सीएसई की पूरी रिपोर्ट यहाँ डाउनलोड करे :

https://www.cseindia.org/refuelling-delhi-ncr-11624

नई दिल्ली, 8 फरबरी, 2023: दिल्ली-एनसीआर के उद्योग-धंधे स्वच्छ ईंधन के उपयोग की दिशा में अग्रसर हैं. इस निष्कर्ष पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) राजस्थान के अलवर ज़िले के दो बड़े औद्योगिक क्षेत्रों अपने एक व्यापक सर्वेक्षण के बाद पहुँची है. यह स्वागत-योग्य पहल कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) के आदेश के बाद हुई है जिसके अनुसार दिल्ली-एनसीआर के उद्योगों को पीएनजी, बायोमास आदि जैसे स्वच्छ ईंधन अपनाने के निर्देश दिए गये हैं.

इस अध्ययन में ईंधन स्थानांतरण के तरीकों, बदलावों और स्थानांतरण के अनुमानित मूल्यों, स्वच्छ ईंधन अपनाने के क्रम में उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों और उन चुनौतियों से निबटने के लिए बनाई गई रणनीतियों का सर्वेक्षण और विश्लेषण किया गया है. सीएसई ने यह गहन आकलन दो औद्योगिक क्षेत्रों में किया है जिनके नाम हैं – मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र (एमआईए) और अलवर स्थित भिवाड़ी.

सीएक्यूएम ने अपना आदेश जून 2022 में जारी किया था जिसके अनुसार उद्योगों के लिए 30 सितंबर, 2022 की समयरेखा तय की गई थी. यह समयरेखा उन स्थानों के लिए थी जहाँ पहले से पीएनजी पाइपलाइन बिछी हुई है. जिन जगहों पर पाइपलाइन नहीं है उन औद्योगिक समूहों के लिए 31 दिसंबर, 2022 की सीमारेखा निर्धारित की गई थी.

अध्ययन किए गये दोनों क्षेत्रों में भिवाड़ी के उद्योग पीएनजी की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पहले से पाइपलाइन बिछी हुई है. एमआईए के उद्योग पीएनजी पाइपलाइन नेटवर्क की अनुपस्थिति में बायोमास का विकल्प चुन रहे हैं. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अनुसार अलवर और भिवाड़ी के लगभग सभी उद्योग सीएक्यूएम द्वारा अनुमोदित ईंधन पर निर्भर हो चुके हैं. अपवादस्वरूप कुछ उद्योग हैं जो लकड़ी के चारकोल का इस्तेमाल करते हैं. यह ईंधन एनसीआए में केवल कपड़ों पर इस्तरी करने की स्थिति में स्वीकृत है. इसके अतिरिक्त केवल धातुकर्म उद्योग ही है जिसके द्वारा कोयले का उपयोग किए जाने की सूचना है.

, सीएसई के औद्योगिक प्रदूषण कार्यक्रम निर्देशक निवित कुमार यादव कहते हैं : “हालाँकि ये उद्योग अपने ईंधन में बदलाव ला रहे हैं हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है ताकि स्वच्छ ईंधन के उपयोग को एक टिकाऊ विकल्प बनाया जा सके. इन बिन्दुओं में पीएनजी उपलब्धता, इसकी बढती हुई क़ीमतें और बायोमास को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की स्थिति में नए पीएम उत्सर्जन मानदंडों की चुनौतियों से निबटना भी शामिल हैं.”

सीएसई के अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले ?

सीएक्यूएम के आदेश के बाद अलवर के उद्योगों द्वारा स्वच्छ ईंधन की ओर महत्वपूर्ण स्थानान्तरण: पीएनजी और बायोमास एनसीआर के उद्योगों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किये जाने वाले दो बड़े स्वच्छ ईंधन हैं. चूँकि ये दोनों ईंधन अलवर में स्थापित उद्योगों में प्रमुखता के साथ उपयोग होते हैं इसलिए ज़िले को अध्ययन के लिए चुना गया. ईंधन-स्थानान्तरण के तरीक़े उपलब्धता के अनुसार

बदलते रहे हैं. भिवाड़ी में ईंधन के रूप में अधिकतर पीएनजी इसलिए भी उपयोग होता है क्योंकि इस क्षेत्र में पीएनजी पाइपलाइन उपलब्ध है. मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र को अभी भी पाइपलाइन की प्रतीक्षा है, इसलिए उद्योगों के लिए प्रमुख विकल्प जैव-अवशिष्ट या बायोमास है.

कैपेक्स और ओपेक्स दोनों दृष्टि से पीएनजी महंगा है जबकि बायोमास अपेक्षाकृत सस्ता है: भिवाड़ी में सर्वे किये गये अधिकतर उद्योग ने पीएनजी में परिवर्तित होने के लिए कम से कम एक करोड़ रूपये ख़र्च किये. पीएनजी की क़ीमत 52/एससीएम (2023) है, जबकि बायोमास को विकल्प के रूप में चुनने का अधिकतम मूल्य शून्य से 5 लाख रूपये तक ही हैं. बायोमास 5 रूपये/किलोग्राम की क़ीमत पर ही उपलब्ध है.

पीएनजी की उपलब्धता और इसकी निरंतर मूल्य-वृद्धि एक बड़ी चिंता है: पीएनजी इस्तेमाल करने वाले अनेक उद्योग पहले से ही चिंतित हैं क्योंकि मौजूदा वैश्विक संकट को देखते हुए उन्हें केवल 70-80 प्रतिशत संकुचित पीएनजी ही दिया गया है. इसके कारण इसके क्रयमूल्य में 2021 में 24 रुपए/एससीएम से 2023 में 52 रूपये/एससीएम की वृद्धि हुई है. इस संकट की भरपाई करने के लिए उद्योग विभिन्न रणनीतियों को अपना रहे हैं, जैसे अंतिम उत्पाद के मूल्य में वृद्धि, वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन (उदाहरणार्थ एलएसएचएस और एलपीजी) के उपयोग के साथ न्यूनतम पीएनजी का इस्तेमाल, उर्जापक्ष में मूल्यों में कटौती के लिए सोलर प्लांटों की स्थापना, वैकल्पिक कच्चे मालों का उपयोग और अस्वीकृति में कमी आदि. यादव कहते हैं: “कुछ उद्योग अपने उत्पादन का एक हिस्सा दिल्ली-एनसीआर के बाहर ले जाने के इच्छुक दिखते हैं ताकि वे पहले की तरह ही सस्ते पारंपरिक ईंधनों का इस्तेमाल कर सकें.”

बायोमास के प्रज्वलन में कण-उत्सर्जन एक बड़ी चिंता का कारण है: सीएक्यूएम के आदेशानुसार पीएम उत्सर्जन हर हाल में 80/मिलीग्राम/एनएम 3 के नीचे लाने की आवश्यकता है. यादव कहते हैं, “लेकिन हमारा अध्ययन यह संकेत करता है कि उद्योग पीएम उत्सर्जन को कमतर करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं. बैग फिल्टर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपेटर्स उत्सर्जन को 50 मिलीग्राम/एनएम 3 से भी कम कर सकता है, लेकिन सर्वे किये गए 15 में से केवल एक बायोमास-फायरिंग उद्योग के पास बैग फिल्टर उपलब्ध है. बाकी बचे उद्योग कम समर्थ हैं जैसे कि साइक्लोन सेपरेटर्स, डस्ट कलेक्टर अथवा वेट स्क्रबर्स.” इतना ही नहीं, इनमें से कुछ वायु प्रदूषण नियंत्रित करने वाले यंत्र पहले से बुरी स्थिति में हैं.

आगे और क्या-क्या रास्ते हैं?

पीएनजी की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करना: पीएनजी कनेक्शन वाले उद्योग संकुचित आपूर्ति का केवल 70-80 प्रतिशत ही प्राप्त कर पाते हैं, जबकि 2022 में आवेदन करने वाले उद्योगों को अभी तक कनेक्शन नहीं मिल पाया है. इसलिए निरंतर आपूर्ति का सुनिश्चित होना आवश्यक है.

पीएनजी को जीएसटी के अधीन लाना: यह तो विदित ही है कि अधिकतर उद्योगों को संकुचित पीएनजी का केवल 70-80 प्रतिशत ही मिल पाता है. शेष बचा 20-30 प्रतिशत को उद्योगों को विशेष मूल्य-प्रणाली के अंतर्गत बेच दिया जाता है. इसे 'स्पॉट प्राइस' भी कहते हैं, और यह संकुचित पीएनजी से लगभग चार गुना अधिक होता है. इस कारण ईंधन आर्थिक रूप उपयुक्त नहीं होता है. अलवर के छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए तो यह विशेष तौर पर अनुपलब्ध है. औद्योगिक प्रदूषण, सीएसई के कार्यक्रम प्रबन्धक पार्थ कुमार कहते हैं: "एनसीआर में पीएनजी की क़ीमत को नियंत्रित करने के लिए जो एक ज़रूरी उपाय किये जा सकते हैं वह पीएनजी को जीएसटी के अधीन लाना है ताकि उद्योगों को आपूर्ति होने से पूर्व इसे राज्य की बहुस्तरीय कर-प्रणाली से बचाया जा सके."
कारगर एपीसीडी को स्थापित और संचालित किये जाने की आवश्यकता: बायोमास-फायरिंग में बैग फिल्टर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपीट्रेर्स जैसे उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली (एपीसीडी) का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है. इन प्रणालियों को ख़रीदने के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाना चाहिए ताकि लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को इसका सीधा और अधिकतम लाभ मिल सके. उन उद्योगों के विरूद्ध कठोर कदम उठाए जाने की भी ज़रूरत है जिन्होंने बायोमास को एक ईंधन के रूप में उपयोग करने से पहले उपयुक्त वायु प्रदूषण नियन्त्रण प्रणाली स्थापित नहीं की है.
उत्सर्जन पर निगरानी की प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता: एमआईए और भिवाड़ी में बायोमास-प्रज्वलन की मात्रा पर विचार करते हुए ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (सीईएमएस) को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है. सर्वे किए गये 15 बायोमास-फायरिंग उद्योगों में केवल दो ने निर्धारित स्थानों पर सीईएमएस स्थापित किया था. प्रदूषण की रोकथाम के लिए औद्योगिक विशिष्ट-क्षेत्र प्रदूषण मूल्यांकन के काम को नियमित रूप से चलाए जाने की ज़रूरत है. ऑनलाइन सीईएमएस डेटा के सीएसई द्वारा मूल्यांकन से यह रहस्य उजागर हुआ है कि यह सूचना समयबद्धता की दृष्टि से सटीक नहीं है. अनेक उद्योग दीर्घकालिक आंकड़े पेश नहीं कर रहे हैं. पर्याप्त मात्रा के साथ

उत्सर्जन मॉनिटरिंग को सुव्यवस्थित करने और सीईएमएस प्रमाणन को सही स्थान पर रखने की आवश्यकता है ताकि सही उत्सर्जन मॉनिटरिंग और आंकड़े की गुणवत्ता को ऑनलाइन प्रदर्शित किया जा सके.

अधिक विस्तार के लिए कृपया सीएसई मीडिया रिसोर्सेस सेंटर की सुकन्या नायर से संपर्क करें.

sukanya.nair@cseindia.org,

88168 18864